राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–291/2005

कन्हैया लाल सालवी —**अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वाथ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
3. डिप्टी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सब डिवीजन वल्लभ नगर, जिला उदयपुर।

—**प्रत्यर्थीगण**

आदेश की दिनांक : 07.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि वह दिनांक 01.10.1988 से 04.04.1989 तक तथा दिनांक 19.05.1989 से 22.11.1989 तक अवकाश पर रहा था। उस अवकाश अवधि को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त अवधि के अवकाश को नियमित करते हुए उन्हें समस्त लाभ दिये जाये।
2. प्रत्यर्थी विभाग ने इस प्रकरण में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।
3. प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा लिये गये अवकाश के संबंध में जांच कर अवकाश को स्वीकृत किये जाने के संबंध में उचित आदेश पारित करें। यदि अपीलार्थी के उपरोक्त अवकाश को स्वीकृत किये जाने योग्य पाया जाता है तो उपरोक्त अवकाश को स्वीकृत करते हुए अपीलार्थी के समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावें।
4. उपरोक्त आदेश की पालना 4 माह में की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)